प्रेस विज्ञप्ति

10.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने 09.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अरुण यादव उर्फ अरुण कुमार सिंह, श्रीमती किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार व मेसर्स किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध धन-शोधन के एक मामले में अभियोजन शिकायत दायर की है। यह मामला आरोपियों द्वारा अवैध रेत खनन, भ्रष्टाचार व अन्य अपराधों के ज़रिए अपराध की आय उत्पन्न करने व उसके शोधन से संबंधित है।

ईडी ने बिहार पुलिस और विशेष सतर्कता इकाई द्वारा आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली, अवैध रेत खनन और आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत परिभाषित आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे अपराधों के लिए दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला कि अरुण यादव व उनके परिवार के सदस्यों ने लगभग 2.65 करोड़ रुपये की वैध आय के मुकाबले निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान लगभग 39.31 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36.66 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

इससे पहले, ईडी ने 27.02.2024 को अरुण यादव और मेसर्स किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान, वित्तीय लेन-देन व दूसरे रिकॉर्ड से जुड़े विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद हुए और उन्हें जब्त कर लिया गया। जांच में आगे पता चला कि अवैध रेत खनन और सरकारी पद के गलत इस्तेमाल से हुई अपराध की आय नगद जमा, डेयरी/पशुपालन व्यापार से बढ़ा-चढ़ाकर आय बताने और मेसर्स किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए धनराशि भेजने के ज़रिए हुई, जिसके बाद पटना में खेती की जमीन, फ्लैट और एक कमर्शियल भूखंड जैसी अचल संपत्ति अर्जित की गईं। जांच के दौरान, 21.38 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया जिसकी पुष्टि विद्वान न्याय निर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा की गई है।

जांच के बाद, ईडी, पटना ने अरुण यादव उर्फ अरुण कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित तथा धारा 4 के तहत दंडनीय धन-शोधन का अपराध करने के लिए अभियोजन शिकायत दायर की है जिसको माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना, ने रिकॉर्ड पर ले लिया है।

आगे की जांच जारी है।